न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 25/2022

1 सिणगारी उम्र 75 साल पत्नी श्री बजरंगलाल जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 सुरेन्द्र पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 सुमेर पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं जरिये मुख्तयार अंकित पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती फुली देवी पुत्री स्व. पन्नाराम पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी रसोड़ा हाल निवासी कालेरा का बास उर्फ जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती सिलोचना पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी लादुसर तहसील व जिल झुन्झुनूं।
3 श्रीमती मणी पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 श्रीमती कमला पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी अनिल जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती किस्तुरी पत्नी स्व. ताराचन्द जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6 संजय पुत्र स्व. ताराचंद जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7 रघुवीर पुत्र स्व. ताराचंद जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 रोहिताश पुत्र स्व. ताराचंद जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 श्रीमती सुमन पुत्री स्व. ताराचंद पत्नी हरफुल जाति जाट निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10 नाथुराम पुत्र स्व. झाबरराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11 विजेन्द्र पुत्र स्व. झाबरराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12 संजय पुत्र स्व. झाबरराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 केशर पुत्र स्व. गोपाल जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
14 राजेन्द्र पुत्र स्व. गोपाल जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
15 श्रीमती भागीदेवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नी जालुराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
16 श्रीमती मनकोरी पुत्री स्व. गोपाल पत्नी रड़मल जाति जाट निवासी नांद का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
17 श्रीमती परमेश्वरी पुत्री स्व. गोपाल पत्न हरूराम जाति जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
18 श्रीमती धापी देवी पुत्री स्व गोपाल पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी सिरियासर कला तहसील व जिला झुन्झुनूं।
19 श्रीमती चान्दा देवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी कुंजला का बास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
20 अमर सिह पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
21 श्रीमती केसरी पुत्री स्व. भगवानाराम पत्नी केशाराम जाति जाट निवासी सिरियासर कला तहसील व जिला झुन्झुनूं।
22 बनवारीलाल पुत्र स्व. हनुमानाराम जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
23 मोहनलाल पुत्र स्व. हनुमानाराम जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
24 रणवीर पुत्र स्व. हनुमानाराम जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

25 विद्याधर पुत्र स्व. हनुमानाराम जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
26 सरोज पुत्री स्व. हनुमानाराम पत्नी मुलचन्द जाति जाट निवासी नयाबास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
27 रामकुमार पुत्र स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
28 ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
29 विजय सिंह पुत्र रामकमार जाति जाट निवासी रसोड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
30 पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक रोड़ नं. 1 कस्बा झुन्झुनूं।
31 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भीमसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
32 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि.
उनवानी मुकदमा फुलीदेवी बनाम श्रीमती सिणगारी वगै.
मु.नं. 54/2017 दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थायी
निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं बखिलाफ
निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2022

उपस्थिति :
1. श्री रोहिताश कुल्हरि, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार, RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 27.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 54/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 11 के हाल खसरा नम्बर 19, 20, गत खसरा नम्बर 36 के हाल खसरा नम्बर 74, 75, गत खसरा नम्बर 84 हाल खसरा नम्बर 184, 185, 186 वाके रसोड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिकी जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम रसोड़ा में कानाराम व पन्नाराम पुत्र सांवतराम नाम व्यक्ति थे। सांवतराम का सगा भाई गोरूराम था पन्नाराम के पुत्र सन्तान नहीं है उसके दो लड़किया रेस्पोउेन्ट नं. 1 व दुसरी झिमकोरी थी व कानाराम पुत्र सांवता के दो पुत्र बजरंगलाल व ताराचन्द हुये बजरंगलाल के वारिसान अपीलान्ट है। परन्तु कानाराम के भाई पन्ना के कोई जायन्दा पुत्र संतान नहीं होने के कारण बाल्यकाल में काना के पुत्र बजरंगलाल को हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था तब से बजरंगलाल पन्ना का दतक पुत्र हो गया। और तभी से बजरंगलाल ने पन्ना के दत्तक पुत्र के रूप में पन्ना व उसकी पत्नी के प्रति सभी धार्मिक व सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। पन्ना व उसकी पत्नी के देहान्त के उपरान्त बजरंग ने दत्तक पुत्र होने के नाते सभी धार्मिक किया कलापों को पूर्ण किया पन्ना की मृत्यु के पश्चात पन्ना के अधिकार की हिस्सा 1/4 दत्तक पुत्र होने के नाते बजरंग को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जसके वारिसान अपीलान्टस है व पन्ना के भाई काना के हक

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकार की सम्पत्ति काना की मृत्यु के पश्चात काना के वारिसान ताराचन्द, सुरजीदेवी, सुसती देवी, चुकी देवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिस पर वर्तमान में कानाराम के वारिसान काबिज व काश्तकार है। काना की सम्पति में बजरंगलाल को पन्ना के दत्तक पुत्र होने के नाते कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ व मृतक पन्ना की सम्पत्ति पर उसके दत्तक पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई उस काबिज काश्त हुआ मृतक पन्ना के दत्तक पुत्र बजरंगलाल के अलावा दो जायन्दा पुत्रियां फुलीदेवी व स्व. झिमकोरी देवी थी। जिसके प्रति भी दत्तक पुत्र होने के नाते बजरंगलाल से सम्पूर्ण कृत्यों का पालना किया व उसके हिस्से से ज्यादा खर्चा किया व पुत्रियों के पुत्र प्राप्ति पर बजरंग द्वारा दत्तक पुत्र होने के नाते भात छुछक आदि के कार्य किये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित किया है क्योंकि दिनांक 13.01.2022 को कोविड 19 के तहत ज्यूडिशियल कोर्ट में काम बन्द होने के कारण अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं3 में इस आशय का पत्र जारी कर रखा था कि न्यायालय में कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा परन्तु अपीलान्ट को बिना सुने जिरह बन्द एकपक्षीय कार्यवाही कर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर निर्णय व प्रारंम्भिक डिक्री विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं दिनांक 13.01.2022 निरस्त फरमाया जावें व पत्रावली विचारण न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जावे की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 11 के हाल खसरा नम्बर 19, 20, गत खसरा नम्बर 36 के हाल खसरा नम्बर 74, 75, गत खसरा नम्बर

अनिल कुमार
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

84 हाल खसरा नम्बर 184, 185, 186 वाके रसोड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्रदर्श 1, प्रदर्श 10 प्रदर्श 13, प्रदर्श 14 से 16 के अनुसार बजरंगलाल कानाराम का पुत्र था व बजरंगलाल ने अपने आप को दत्तक पुत्र होना दर्ज नहीं करवाया है। प्रदर्श 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 के अनुसार दस्तावेजातों में बजरंगलाल ने अपने आपको कानाराम का पुत्र होना माना है। इससे जाहिर है कि बजरंगलाल को पन्नाराम ने गोद नहीं लिया है। प्रदर्श 26 से 31 तक राजस्व रिकार्ड में कानाराम व पन्नाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार पेश खसरा गिरदावरी में भी इन्द्राज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड गत खसरा नम्बर 11, गत खसरा नम्बर 36, गत खसरा नम्बर 84 में वादिया के पिता की 1/4 हिस्से की सह खातेदारी दर्ज है। उक्त गत खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 19, 20, 74, 75, 184, 185 व 186 बने है। जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। पन्नाराम को देहान्त हो जाने के बाद नामान्तकरण प्रदर्श संख्या 12 में बजरंगलाल ने अपना 1/4 हिस्सा ग्राम पंचायत के सरपंच से दर्ज करवा लिया। नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त होती है तथा हक प्रदान नहीं करती। हस्तगत प्रकरण में पन्नाराम का 1/4 हिस्सा होना विवादित नहीं है। यह देखना है कि उक्त हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत किसको मिला। वादिया श्रीमती फूली देवी व श्रीमती झीमकोरी देवी का पन्नाराम की पुत्री होने से इंकार नहीं किया गया। इस प्रकार स्वीकृत रूप से पन्नाराम के 1/4 हिस्से की सह खातेदार वादिया हुई। ग्राम पंचायत ने अपने आदेश में यह दर्ज नहीं किया कि बजरंगलाल, पन्नाराम का दत्तक पुत्र है। आदेश में यह भी दर्ज नहीं है कि पन्नाराम के वारिसान की जांच की गई हो व वारिसान को सूचित किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करना थी प्रदर्श संख्या 12 में अंकित नहीं है। प्रदर्श संख्या 12 पर हल्का पटवारी ने भी अपने हस्ताक्षर नहीं किये है इससे जाहिर है कि ग्राम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पंचायत के सरपंच ने बिना किसी साक्ष्य के नामान्तकरण दर्ज किया गया है। कानूनी प्रावधान के अनुसार नामान्तकरण में किये गये पक्षकारान की उपस्थिति में दर्ज करना साक्ष्य दर्ज करना आवश्यक है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स 1957 के रूल 121 में ऐसा प्रावधान है। इस प्रकार प्रदर्श संख्या 12 व इस आधार पर बना राजस्व रिकार्ड वादी के अधिकारों पर शुन्य है। वादिया के अभिभाषक ने 2021 (2) आरआरटी एससी 1201 का सिद्धान्त पेश कर तर्क किया कि नामान्तकरण का कोई हक पैदा नहीं करता। एआईआर 2015 एससी पेज 2499 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नामान्तकरण में ना तो कोई हक पैदा करते है तथा ना ही खत्म करते है। प्रदर्श 12 में कानूनी प्रावधानों की अवहेलना हुई है जिसका अमल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया और पन्नाराम की 1/4 हिस्से की खातेदारी बजरंगलाल के नाम से गलत दर्ज हो गई। इस कारण पन्नाराम का देहान्त होने के बाद बनाया गया राजस्व रिकार्ड वादी के हक हकूको पर शुन्य है। प्रतिवादीगण द्वारा कथन के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया है। उत्तराधिकार के हक मिलने पर खातेदारी हकूक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार ही खत्म हो सकते है जो इस प्रकरण में लागू नहीं हुये। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 11 के हाल खसरा नम्बर 19, 20, गत खसरा नम्बर 36 के हाल खसरा नम्बर 74, 75, गत खसरा नम्बर 84 हाल खसरा नम्बर 184, 185, 186 वाके रसोड़ा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रदर्श 1, प्रदर्श 10 प्रदर्श 13, प्रदर्श 14 से 16 के अनुसार बजरंगलाल कानाराम का पुत्र था व बजरंगलाल ने अपने आप को दत्तक पुत्र होना दर्ज नहीं करवाया है। प्रदर्श 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 के अनुसार दस्तावेजातों में बजरंगलाल ने अपने आपको कानाराम का पुत्र होना माना है। इससे जाहिर है कि बजरंगलाल को पन्नाराम ने गोद नहीं लिया है।

पत्रावली में प्रदर्श 26 से 31 तक राजस्व रिकार्ड में कानाराम व पन्नाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार पेश खसरा गिरदावरी में भी इन्द्राज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड गत खसरा नम्बर 11, गत खसरा नम्बर 36, गत खसरा नम्बर 84 में वादिया के पिता की 1/4 हिस्से की सह खातेदारी दर्ज है। उक्त गत खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 19, 20, 74, 75, 184, 185 व 186 बने है। जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। पन्नाराम को देहान्त हो जाने के बाद नामान्तकरण प्रदर्श संख्या 12 में बजरंगलाल ने अपना 1/4 हिस्सा ग्राम पंचायत के सरपंच से दर्ज करवा लिया। नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त होती है तथा हक प्रदान नहीं करती।

प्रस्तुत प्रकरण में पन्नाराम का 1/4 हिस्सा होना विवादित नहीं है। वादिया श्रीमती फूली देवी व श्रीमती झीमकोरी देवी का पन्नाराम की पुत्री होने से इंकार नहीं किया गया। इस प्रकार स्वीकृत रूप से पन्नाराम के 1/4 हिस्से की सह खातेदार वादिया हुई। ग्राम पंचायत ने अपने आदेश में यह दर्ज नहीं किया कि बजरंगलाल, पन्नाराम का दत्तक पुत्र है। आदेश में यह भी दर्ज नहीं है कि पन्नाराम के वारिसान की जांच की गई हो व वारिसान को सूचित किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करना थी प्रदर्श संख्या 12 में अंकित नहीं है। प्रदर्श संख्या 12 पर हल्का पटवारी ने भी अपने हस्ताक्षर नहीं किये है इससे जाहिर है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने बिना किसी साक्ष्य के नामान्तकरण दर्ज किया गया है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स 1957 के रूल 121 में ऐसा प्रावधान है। इस प्रकार प्रदर्श संख्या 12 व इस आधार पर बना राजस्व रिकार्ड वादी के अधिकारों पर शुन्य है नामान्तकरण का कोई हक पैदा नहीं करता। प्रदर्श 12 में कानूनी प्रावधानों की अवहेलना हुई है जिसका अमल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया और पन्नाराम की 1/4 हिस्से की खातेदारी बजरंगलाल के नाम से गलत दर्ज हो गई। इस कारण पन्नाराम का देहान्त होने के बाद बनाया गया राजस्व रिकार्ड वादी के हक हकूको पर शुन्य है।

उत्तराधिकार के हक मिलने पर खातेदारी हकूक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार ही खत्म हो सकते है जो इस प्रकरण में लागू नहीं हुये। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर